फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री डालु | **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 128 भू रा. अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 51/24**

जीसीएमएस : 2024/219

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 10.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. एवं धारा 128 भू राजस्व अधिनियम पर बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थी द्वारा मौजा आकोदडा पटवार हल्का बडगांव तहसील मावली की आराजी नम्बर 3503, 4722/3976 किता 2 कुल रकबा 1.4568 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं परन्तु दस्तावेज के अवलोकन से यह कही भी प्रतीत नहीं होता है कि उक्त आराजी प्रार्थी अथवा प्रार्थी के मौरूस के नाम दर्ज हो। अतः जब उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के नाम ही दर्ज नहीं है तो प्रार्थी किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। चूंकि धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् स्वयं के नाम दर्ज भूमि का ही सीमांकन कर पत्थरगढी किया जाना होता हैं। साथ ही प्रार्थी द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि की जमाबन्दी पत्रावली में पेश की गई वह भूमि कृषि भूमि नहीं होकर अकृषि भूमि है। जिसका श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं हैं। अतः वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं होने से विपक्षी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का स्वीकार एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का खारिज योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप विपक्षी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:25 IST
Reason: SelfAttested